सहानुभूति नहीं अवसर चाहिए
विकलांग बच्चों के लिए बाल मेला

शंकर बडगा, अनवर और वेंकटेश के साथ

प्रतिदिन की तरह उस दिन भी मैं स्कूल के नियमित दौरे पर था, लेकिन उस दिन मैंने जिस स्कूल का दौरा किया वह विशेष इसलिए था क्योंकि उसने मुझे एक नई अन्तर्दृष्टि दी। मैं जिस स्कूल की बात कर रहा हूँ, वह शोरापुर तालुक (ज़िला यादगीर) के कुपगल गाँव का शासकीय उच्चतर प्राथमिक स्कूल है। मैं कक्षा 6 और 7 के बच्चों से बातें कर रहा था। लेकिन उनमें से एक बच्ची कोई जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि वह मेरी बातों को समझ नहीं पा रही थी। फिर उसके दोस्तों ने हाथ से संकेत करके उसकी मदद की और तब वह मेरी बातें समझ सकी। मुझे पता चला कि उसे ठीक से सुनाई नहीं देता और उसके भाई-बहनों की भी यही हालत थी। हालाँकि मैं उसके साथ सामान्य रूप से बातचीत नहीं कर सका, लेकिन उसके दोस्तों को उसके साथ बातें करने में कोई परेशानी नहीं हुई। इस घटना ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन बच्चों में भी विशेष योग्यताएँ हैं और यदि हम इन्हें बेहतर रूप से समझ सकें और इन्हें विविध अवसर प्रदान करें तो ये भी पढ़ाई में सफल हो सकते हैं। मैंने महसूस किया कि इन्हें अवसरों की आवश्यकता है, सहानुभूति की नहीं ताकि इनके भीतर की उन दक्षताओं को बाहर लाया जा सके जो उजागर होना चाहती हैं।

ध्यान से देखने पर हमें पता चला कि हर स्कूल में कम से कम तीन से चार ऐसे बच्चे होते हैं। शोरापुर ब्लॉक की प्राथमिक कक्षाओं में 573 विकलांग बच्चे पढ़ते हैं और हमने उनके साथ कभी भी अन्य बच्चों जैसा बराबरी का व्यवहार नहीं किया है, बल्कि हम विकलांगता के लिए सहानुभूति दिखाते हैं, दुर्भाग्य के लिए सृष्टिकर्ता को श्राप देते हैं और इन बच्चों को ऐसे अवसर देने के तरीक़े कभी नहीं तलाशते जिससे इनके अन्दर छिपी हुई दक्षताओं को बाहर लाया जा सके। अपने हर प्रयास में हम संवैधानिक मूल्यों जैसे समानता, निष्पक्षता और स्वतन्त्रता के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन विकलांग बच्चों के लिए इन्हीं बातों को सुनिश्चित करने के विचार को अकसर अनदेखा कर देते हैं।

शिक्षा हर बच्चे का एक मौलिक अधिकार है। इसे सुनिश्चित करना समाज, सरकार और स्कूल की ज़िम्मेदारी है। प्रत्येक स्कूल सभी बच्चों के लिए सुलभ होना चाहिए और इन बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना उसका परम सिद्धान्त होना चाहिए। यह केवल हमारी इच्छा नहीं है, बल्कि यह तो एक संवैधानिक जनादेश है कि विकलांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए ताकि उन्हें मुख्यधारा के समाज में लाया जा सके। उन्हें किसी भी अन्य बच्चे की तरह अपने जीवन की गरिमा को बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए और इसके लिए समान अवसरों की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग में विकलांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के प्रशिक्षण के लिए एक विशेष सेल है।

समावेशी शिक्षा के उद्देश्य

समावेशी शिक्षा 2018-19 की पुस्तिका, समन्वय शिक्षण कइपिडी 2018-19 के अनुसार ये उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- नियमित स्कूलों में प्रवेश के लिए अवसर उपलब्ध कराना।
- विकलांग और ग़ैर-विकलांग बच्चों के बीच सामाजिक सम्बन्धों का निर्माण करना।
- अधिगम की बेहतर प्रक्रियाओं के लिए विशेष शिक्षण-अधिगम सामग्री (टीएलएम) और संसाधनों को काम में लेना।
- विकलांग बच्चों के प्रति नकारात्मक रवैये को दूर करना।

पिछले एक दशक से हम विभिन्न मंचों पर सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र के बच्चों और शिक्षकों के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन विकलांग बच्चों को शामिल करने की कोई पहल कभी भी नहीं हुई और न ही उनके लिए कोई विशेष कार्यक्रम किया गया है।

आख़िरकार अदिवेप्पा, तत्कालीन ब्लॉक समन्वयक, अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन द्वारा एक पहल की गई और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक चर्चा हुई जिसमें उन्होंने विकलांग बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया दिखाई। इसकी तैयारी के लिए फाउण्डेशन और शिक्षा विभाग के

सहयोग से एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें हमने विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए बाल मेले की अवधारणा पर चर्चा की और कार्यक्रम के उद्देश्यों पर एक दस्तावेज़ तैयार किया। चर्चा के दौरान, कुछ महत्वपूर्ण बातें सूचीबद्ध की गईं जो इस प्रकार थीं :

- माता-पिता और समुदाय के मन में इन बच्चों की क्षमताओं के बारे में ग़लत धारणाएँ हैं।
- इन बच्चों को अतीत के पापों का फल माना जाता है।
- चिकित्सा सम्बन्धी जागरूकता की कमी है।
- स्कूल का माहौल भी इन्हें अन्य बच्चों से अलग करता है।

इस तरह की भ्रान्तियों को दूर करने और विकलांग बच्चों की क्षमताओं को सामने लाने का प्रयास करना ही इस मेले का मुख्य उद्देश्य था।

मेले के उद्देश्य

- माता-पिता और समुदाय के लोगों में जागरूकता पैदा करना और विकलांग बच्चों की क्षमताओं को मान्यता और सम्मान देने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना।
- बाल अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- विकलांग बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न सरकारी नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाना और इनका लाभ उठाने में उनकी मदद करना।

मेले की तैयारी

यह मेला हमारे लिए भी काफ़ी चुनौतियाँ लेकर आया। पहली अड़चन थी— शिक्षकों की मदद से इन बच्चों के अधिगम के लिए उपयुक्त शिक्षण-विधियों का उपयोग करना। इसे दूर करना ज़रूरी था। दूसरे, हमने विभिन्न विभागों जैसे कि शिक्षा, तालुक पंचायत, समाज कल्याण, महिला और बाल कल्याण, स्वास्थ्य, परिवहन, विकलांग कल्याण, नगर निगम और विकलांग बच्चों के संघ आदि के साथ इन बच्चों के कल्याण के प्रावधानों और योजनाओं के बारे में पूछताछ करने के लिए विचार-विमर्श किया था। इन सभी विभागों से यह भी कहा गया था कि वे अपनी स्वयं की गतिविधि के साथ इस मेले में भाग लें।

फाउण्डेशन के सदस्यों के लिए एक योजना बनाई गई जिसमें उनसे 30 ऐसे स्कूलों की पहचान करने के लिए कहा गया जिसमें विकलांग बच्चे हों। साथ ही उन्हें विभाग के स्रोत व्यक्तियों और सम्बन्धित शिक्षकों के साथ मिलकर काम करना था, ताकि उन स्कूलों को एक महीने के लिए अधिगम की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। हमने सरल गणित और भाषा के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उन बच्चों के साथ कार्य किया। उन्हें अपनी आवश्यकताओं और प्रतिभाओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रक्रिया ने शिक्षकों और अभिभावकों को उन बच्चों की क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाया और जिससे हमें माता-पिता और शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने में मदद मिली।

मेले का दिन (8 फरवरी, 2018)

इस मेले का उद्घाटन विधानसभा के पूर्व सदस्य (एम. एल.ए.), श्री मदनगोपाल नाइक ने किया और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। लगभग सौ विकलांग बच्चों ने सरल गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा और दैनिक जीवन प्रबन्धन कौशल की पचास विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। विभिन्न विभागों (शिक्षा, तालुक पंचायत, समाज कल्याण, महिला और बाल कल्याण, स्वास्थ्य, परिवहन, विकलांग कल्याण, नगर निगम) और विकलांग बच्चों के संघों ने भी अपने-अपने स्टॉल्स में प्रावधानों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इसमें भाग लिया।

जश्न का माहौल था। अन्य मेलों की तुलना में यह एक अलग अनुभव था। ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने में सन्तोष और गर्व की भावना व्यक्त की। बच्चों ने अपने चुने हुए विषयों पर अपनी क्षमता के अनुसार दर्शकों के साथ चर्चा की।

दोपहर के भोजन के बाद, विशेष क्षमताओं वाले सफल लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आमन्त्रित किया गया था। श्री बसवराज उम्ब्रानी और डॉ. शिवराज शास्त्री ने अपने रास्ते में आई चुनौतियों और अपनी सफलता की कहानियों के बारे में बताया। श्री बासवराज उम्ब्रानी दृष्टि बाधित हैं और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि विकलांगता केवल भौतिक दुनिया के सन्दर्भ में है, मानसिक सन्दर्भ में नहीं। कर्नाटक राज्य में शोरापुर ने विकलांग बच्चों को अवसर प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। वे बिना किसी सहायता के कुछ ही पलों में जोड़, भाग और गुणा जैसी गणितीय संक्रियाओं को छठे स्थानीय मान तक हल कर सकते थे। इस बात ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि विकलांग बच्चों में विशेष क्षमता होती है और हमें उनकी प्रतिभा

को सामने लाने के लिए उन्हें पहचानने और उनका समर्थन करने की आवश्यकता है। दूसरे वक्ता, डॉ. शिवराज शास्त्री, जो दृष्टि बाधित हैं और शरण बसप्पा कॉलेज में कन्नड़ के व्याख्याता हैं, ने कहा कि मानव प्रजाति बहुत ख़ास है और हमारे पास जो भी है उसका पूरा उपयोग करना चाहिए; 'यदि आपके पास एक हाथ नहीं है, तो दूसरे का उपयोग करें।' समारोह में लगभग दो हज़ार लोगों ने भाग लिया, जिनमें बच्चे, माता-पिता और समुदाय के सदस्य शामिल थे।







मेले की-कुछ झलकियाँ

मेले से प्राप्त अन्तर्दृष्टि

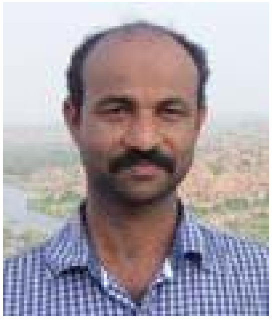
- यह समझ बनी कि विकलांग बच्चे दूसरे बच्चों के बराबर ही सीख सकते हैं। अपने स्कूल के दौरों के दौरान हमने देखा कि शिक्षक सक्रिय रूप से उन बच्चों के साथियों की मदद से उन्हें सीखने की प्रक्रिया में शामिल कर रहे थे।
- यदि शिक्षक में विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए दृढ़ विश्वास हो तो बच्चे सफल होंगे।
- 'सहानुभूति नहीं अवसर चाहिए' इस नारे ने सभी के मन में एक विवेचनात्मक विचार प्रक्रिया शुरू की है।
- विकलांग बच्चों को सफल होने के लिए सहानुभूति की नहीं, बल्कि अवसरों के साथ धैर्य, प्यार और सम्मान की आवश्यकता होती है।
- माता-पिता ने महसूस किया कि उनका विकलांग बच्चा बोझ नहीं है। वह भी बाक़ी लोगों की तरह सामान्य जीवन जी सकता है।

जब मेला समाप्त हुआ तो उस दिन हमारे सदस्यों के मन में सन्तुष्टि का भाव था, क्योंकि उन्होंने कुछ असाधारण हासिल किया था और बच्चों के चेहरे पर ख़ुशी और गर्व की जो मुस्कुराहट थी, वह अनमोल थी। इस मेले ने संवैधानिक जनादेश सुनिश्चित करने के साथ-साथ विकलांग बच्चों की क्षमताओं को पहचानने और उनका सम्मान करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

'समावेशन की नीति को हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की ज़रूरत है। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में, वह चाहे स्कूल में हो या बाहर, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की ज़रूरत है। स्कूलों को ऐसे केन्द्र बनाए जाने की आवश्यकता है जहाँ बच्चों को जीवन की तैयारी कराई जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चों, ख़ासकर शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों, समाज के हाशिए पर जीने वाले बच्चों और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को शिक्षा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के सबसे अधिक फ़ायदे मिलें। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के मौक़े और सहपाठियों के साथ बाँटने के मौक़े देना बच्चों में प्रोत्साहन और जुड़ाव को पोषण देने के शक्तिशाली तरीक़े हैं।' एन.सी.एफ. 2005 (4.3.2. *समावेशन की नीति*)



शंकर बडगा वर्तमान में ब्लॉक संसाधन केन्द्र, शोरापुर, यादगीर, कर्नाटक में समावेशी शिक्षा के स्रोत प्रशिक्षक हैं। इससे पहले वे शिक्षा विभाग में क्लस्टर रिसोर्स पर्सन (सी.आर.पी.) और कन्नड़ तथा सामाजिक विज्ञान के सहायक शिक्षक की विभिन्न भूमिकाओं में कार्य करते रहे हैं। उन्हें इस क्षेत्र में 25 साल का लम्बा अनुभव है। उनसे shankrappabbadaga@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।



अनवर, कर्नाटक के यादगीर के शोरापुर में कन्नड़ भाषा के स्रोत व्यक्ति हैं और 2008 से अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन के साथ हैं। वे लर्निंग गारंटी प्रोग्राम और चाइल्ड-फ्रेंडली स्कूल इनिशिएटिव जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने सेदाम, कलबुर्गी में फाउण्डेशन की ब्लॉक स्तर की गतिविधियों के समन्वय की ज़िम्मेदारी भी सँभाली है। उनसे anwar.m@azimpremjifoundation.org पर सम्पर्क किया जा सकता है।



वेंकटेश वर्तमान में शोरापुर, यादगीर, कर्नाटक में अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन फेलो हैं और उन्हें स्टील औद्योगिक परियोजना प्रबन्धन का अनुभव है। उन्होंने कर्नाटक के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी की उपाधि प्राप्त की है। उनसे venkatesh.k@azimpremjifoundation.org पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अनुवाद : नलिनी रावल